भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 21
22 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि क्षेत्र में पुनः लौटना

*21. **श्री इमरान मसूदः**
श्री हरीश चंद्र मीनाः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में जारी किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि पलायन कर चुके ग्रामीण भारत के लोग रोजगार के कम अवसरों के कारण वापस कृषि क्षेत्र में लौट आए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा बढ़ते कृषि कार्यबल के कारण भूमि और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले दबाव से निपटने और राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले सहित देश भर में सतत् कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) राजस्थान सहित देश भर में कृषि क्षेत्र में लौटने वाले व्यक्तियों, विशेषकर भूमिहीन और लघु किसानों को ऋण, प्रशिक्षण और अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में व्यक्तियों की अत्यधिक संख्या को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के वैकल्पिक अवसर सृजित करने के लिए क्या कार्यनीति अपनाई गई है/अपनाई जा रही है; और

(ङ) कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने तथा कृषि-प्रसंस्करण और मूल्य श्रृंखला विकास को एकीकृत करने के लिए कार्यान्वित की गई पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"कृषि क्षेत्र में पुनः लौटना" के संबंध में दिनांक 22.07.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा में श्री इमरान मसूद और श्री हरीश चंद्र मीना द्वारा पूंछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 21 के भाग (क) से (ङ) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा हाल ही में किए गए आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, वर्ष 2023-24 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में कार्यरत श्रमबल का प्रतिशत 46.07% था, जो पिछले वर्ष 2022-23 में 45.76% की तुलना में बहुत मामूली वृद्धि दर्शाता है। तथापि, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में श्रमबल का हिस्सा वर्ष 2011-12 के 48.9% से घटकर वर्ष 2023-24 में 46.07% रह गया।

(ख): कृषि राज्य विषय होने के कारण, राज्य सरकारें किसानों के कल्याण हेतु कृषि स्कीमों/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करती हैं और भारत सरकार भी विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र/केंद्र प्रायोजित स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से इन प्रयासों में सहायता करती है। केंद्र सरकार ने देश में भूमिहीन और छोटे किसानों सहित सभी किसानों के लिए ऋण, प्रशिक्षण और इन्फ्रास्ट्रक्चर तक पहुँच के संदर्भ में कृषि क्षेत्र के लिए कई नीतियों, सुधारों और विकास कार्यक्रमों को अपनाया और कार्यान्वित किया है, जैसे कि:

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
4. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस)
5. एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
6. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
7. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
8. नमो ड्रोन दीदी
9. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
10. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
11. स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष (एग्रीश्योर)
12. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
13. कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
14. परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
15. मिट्टी के स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एसएचएंडएफ)
16. वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (आरएडी)
17. कृषि वानिकी
18. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
19. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
20. बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)
21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
22. समेकित कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
23. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
24. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम
25. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन

26. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
27. डिजिटल कृषि मिशन
28. राष्ट्रीय बांस मिशन

इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अपने कार्यक्रमों और स्कीमों के माध्यम से राजस्थान सहित देश में छोटे और सीमांत किसानों के लिए उत्पादन दक्षता लाने का लक्ष्य रखा है। छोटे और खंडित भूमि जोत को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए सतत कृषि पद्धतियां, प्रोटोटाइप एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल और जैविक खेती पैकेज फसल प्रणालियां विकसित की गई हैं। विकसित मॉडल उर्वरकों से संबंधित इनपुट की लागत में कमी के साथ किसानों की आय में वृद्धि करते हैं। इसके अलावा, कृषि राज्य का विषय होने के नाते, राज्य सरकार भूमिहीन किसानों सहित किसानों के कल्याण के लिए कृषि स्कीमों/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करती है और भारत सरकार भी विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र/केंद्र प्रायोजित स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से इन प्रयासों में सहायता करती है। विभिन्न स्कीमें/कार्यक्रम उत्पादन, लाभकारी रिटर्न और आय सहायता बढ़ाकर किसानों के कल्याण के लिए राज्यों को सहयोग करने के लिए हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के अंतर्गत प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) स्कीम सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों, अर्थात् ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देती है। राजस्थान देश में पीडीएमसी के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है। अब तक, 1,604.11 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी करके 10.58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत शामिल किया गया है। चालू वर्ष (2025-26) के दौरान राजस्थान राज्य को 198.74 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता आवंटित की गई है और अब तक पहली किस्त के रूप में 99.37 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

देश में वर्ष 2014-15 से एनएमएसए के अंतर्गत वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी) स्कीम को एक घटक के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। आरएडी, उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) पर केंद्रित है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान वर्ष के दौरान आरएडी के कार्यान्वयन हेतु राजस्थान राज्य को 1,801.00 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता आवंटित की गई है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य को 900.00 लाख रुपये की पहली किस्त जारी की गई है।

राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी)/मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एसएचएम) स्कीम, राज्य सरकारों के माध्यम से संचालित है। अब, इस स्कीम को वर्ष 2022-23 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के मृदा स्वास्थ्य घटक के रूप में विलय कर दिया गया है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य और उसकी उत्पादकता में सुधार हेतु जैविक खादों और जैव-उर्वरकों के साथ-साथ द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) को बढ़ावा देने में राज्यों की सहायता करना है।

(ग): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) तथा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) स्कीम जैसी स्कीमें सभी किसानों, विशेषकर भूमिहीन और छोटे पैमाने के किसानों को सहायता प्रदान करती हैं।

भारत सरकार राजस्थान सहित पूरे भारत के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में संशोधित ब्याज अनुदान स्कीम (एमआईएसएस) नामक केंद्र द्वारा 100% वित्तपोषित केंद्रीय क्षेत्र स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। इस स्कीम का उद्देश्य किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से लिए गए अल्पकालिक कृषि ऋणों पर रियायती ब्याज दरें प्रदान करना है।

इस स्कीम के अंतर्गत किसानों (भूमिहीन और छोटे किसानों सहित) को 7% की रियायती ब्याज दर पर केसीसी ऋण प्राप्त होता है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, वित्तीय संस्थानों को 1.5% की अप-फ्रंट इंटरेस्ट सबवेंशन (आईएस) प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जो किसान अपने ऋण का समय पर भुगतान करते हैं, उन्हें 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) मिलता है, जिससे ब्याज दर प्रभावी रूप से घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है।

इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) किसानों के लिए (परिसर में और परिसर के बाहर) 'कृषि के महत्व' और 'उन्नत कृषि पद्धतियों' पर कृषि परीक्षण के माध्यम से अनेक प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है।

सरकार देश में कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) स्कीम कार्यान्वित कर रही है, जिसका उद्देश्य सिंगल विंडो कृषि ज्ञान, संसाधन और क्षमता विकास केंद्र के रूप में कार्य करना है। केवीके अपनी गतिविधियों के तहत, किसानों, कृषक महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों (फसल उत्पादन, बागवानी, मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन, पशुधन उत्पादन एवं प्रबंधन, गृह विज्ञान/महिला सशक्तिकरण, कृषि अभियांत्रिकी, पौध संरक्षण, मत्स्य पालन, साइट पर आदान उत्पादन, कृषि वानिकी) के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं ताकि उनकी क्षमता का निर्माण किया जा सके। सरकार ने देश भर में 731 कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) स्थापित किए हैं, जिनमें राजस्थान में 47 और सवाई माधोपुर में एक केवीके शामिल हैं।

(घ): सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और संबद्ध क्षेत्र को और अधिक व्यवहार्य बनाने के उद्देश्य से कई स्कीमें शुरू की हैं, जिनमें पशुधन/पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन/जलीय कृषि और कृषि-वानिकी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कई कार्यक्रम/स्कीमें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार सृजन के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति देना और स्कीमों पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाना। स्कीमों की सूची निम्न प्रकार है:

i. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)
ii. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)
iii. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू-जीकेवाई)
iv. ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)
v. दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)
vi. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)
vii. जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस)
viii. राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस)
ix. शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस)
x. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)
xi. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)
xii. समग्र शिक्षा

इसके अलावा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों तक पहुंच बनाना।

(ङ): कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए, भारत सरकार 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात; जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) कार्यान्वित कर रही है। एनएफएसएनएम का उद्देश्य क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना है। इस स्कीम के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से किसानों को फसल उत्पादन और सुरक्षा तकनीकों, फसल प्रणाली-आधारित प्रदर्शनों, नई किस्मों/संकर क़िस्मों के प्रमाणित बीजों के वितरण, एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन तकनीकों, उन्नत कृषि उपकरणों/औजारों/संसाधन संरक्षण मशीनरी, जल बचत उपकरणों, फसल सीजन के दौरान प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों की क्षमता निर्माण आदि पर प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। केन्द्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के तहत राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन (एनएमईओ-ओएस) पहल का उद्देश्य घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना है, ताकि खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास करने के लिए पूरे देश में इसे क्रियान्वित किया जा सके।

सरकार सतत और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) कार्यान्वित कर रही है। ये स्कीमें जैविक खेती से जुड़े किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणन और विपणन तथा फसलोपरांत प्रबंधन तक, संपूर्ण सहायता प्रदान करने पर ज़ोर देती हैं। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण इस स्कीम का अभिन्न अंग हैं। एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) एक प्रोत्साहित पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण है, जिसमें पारंपरिक, यांत्रिक, जैविक और आवश्यकता आधारित रासायनिक नियंत्रण उपाय शामिल हैं। 28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित केंद्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र किसानों को आईपीएम पर प्रशिक्षण दे रहे हैं।

कृषि अवसंरचना कोष (एग्री इन्फ्रा फंड) शीतगृहों, गोदामों और प्रसंस्करण इकाइयों जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए वित्तीय सहायता और कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करके गाँवों में कृषि-आधारित उद्योगों के विस्तार में मदद करता है। यह कोष आधुनिक कृषि पद्धतियों और प्रौद्योगिकी अपनाने, उत्पादकता बढ़ाने और विभिन्न कृषि-आधारित क्षेत्रों में विविधीकरण को बढ़ावा देने में सहयोग करता है, जिससे ग्रामीण कृषि में बदलाव लाना, बाज़ार पहुँच बढ़ाना और किसानों की आजीविका में सुधार लाया जा सके। यह किसानों, एफपीओ और स्टार्ट-अप के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करता है, तथा रोजगार के अवसर पैदा करता है।

*****